न्यायालय– अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :– 95/2021
CIS No. :– TS/95/2021

इन्द्रासन राम बनाम **कोदई यादव एवं अन्य**

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
04.12.2021	अभिलेख पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक कथन किया गया कि जरिये नजारत सम्मन तामीला के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या–1 व 4 न्यायालय उपस्थित नहीं आये। वाद के अग्रसारण के लिए अनुपस्थित प्रतिवादी संख्या–1 व 4 पर नोटिस/ सम्मन का तामीला जरिये नजारत सम्मन माने जाने हेतु याचना की गयी है। सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रतिवादी सं०–1 कोदई यादव एवं प्रतिवादी सं०–4 राजेन्द्र लाल ने नजारत सम्मन प्राप्त करके अपना–अपना हस्ताक्षर व निशान बनाया है। अतएव प्रतिवादी सं०–1 कोदई यादव एवं प्रतिवादी सं०–4 राजेन्द्र लाल पर नजारत सम्मन तामीला पर्याप्त है। अतः जरिये नजारत सम्मन प्रतिवादी सं०–1 कोदई यादव एवं प्रतिवादी सं०–4 राजेन्द्र लाल पर नोटिस/सम्मन की तामीला पर्याप्त मानी जाती है। अभिलेख वास्ते प्रतिवादी संख्या–2 रउफ मियां एवं प्रतिवादी संख्या–3 गोपाल शर्मा की उपस्थिति हेतु दिनांक–03.01.2022 को पेश हो। अवर न्यायाधीश तृतीय न्यायालय कक्ष–4, नरकटियागंज।	